

लैंगिक संवेदनशीलता और शिक्षक

¹डॉ० ममता सिंह

¹असिस्टेंट प्रोफेसर, बी०एड० विभाग, डी०बी०एस० कालेज, कानपुर (उ०प्र०)

Received: 10 Jan 2022, Accepted: 20 Jan 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2022

Abstract

किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों पर निर्भर करता है। शिक्षा मानव संसाधन के निर्माण का साधन है। शिक्षा का सीधा सम्बन्ध मनुष्य के मनोजगत से है। मानसिक उत्थान द्वारा व्यक्ति में विवेक बुद्धि का विकास शिक्षा का मूलभूत प्रयोजन है। यही विवेक उसे भले-बुरे का करणीय-अकरणीय उचित-अनुचित का ज्ञान करा देता है। इस विवेक जागरण में शिक्षा से बढ़कर अन्य किसी साधन की भूमिका श्रेयष्कर नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लड़के-लड़कियों में कोई अन्तर नहीं होता। लोकतन्त्र लिंग के आधार पर किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करता। परन्तु लैंगिक सम्बन्धी असमानता कई रूपों में उभरकर आती है। सामाजिक रूढ़िवादी सोच, घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिंसा और महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार इसके कुछ उदाहरण हैं। लोकतान्त्रिक समाज के निर्माण एवं विकास के लिए इन विभेदों को दूर किया जाना आवश्यक है। जेण्डर का मुद्दा पूरी मानवता का मुद्दा है। बचपन से ही बच्चों में जेण्डर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाये तो स्वस्थ मानसिकता लेकर ही बच्चे विकसित होंगे। इसलिए विद्यालयी शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक का दायित्व बच्चों को केवल विषय का ज्ञान देकर ही पूर्ण नहीं हो पाता है। जेण्डर के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता का विकास विद्यालय में अनेकों गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर संवेदीकरण सम्बन्धित पाठ, पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षकों द्वारा समानता का व्यवहार आदि से स्वस्थ मानसिकता लेकर बच्चों का विकास होगा।

प्रमुख शब्दावली : लैंगिक, संवेदनशीलता, शिक्षा, शिक्षक।

Introduction

भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय को धर्म, जाति, वर्ग और लिंग आदि आधारों पर समानता के अधिकार का प्रावधान है। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसाधनों के पहुँच एवं उसके नियन्त्रण के

मामले में आज भी भारत में महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है, जो स्वास्थ्य, पोषक, लिंग अनुपात, साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धियों, दक्षता का स्तर, व्यवसाय आदि सूचकांकों से प्रदर्शित होती है। प्रत्येक समाज व देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में क्या स्थान प्राप्त है। स्त्री व पुरुष समाज रचना की गाड़ी के दो पहिये हैं, जब तक ये दोनों पहिये सहजता, समता, समानता के साथ एकाकार होकर आगे नहीं बढ़ते तब तक वांछित प्रगति एवं वास्तविक विकास सम्भव नहीं है। इन दोनों के समान रूप से गतिशील रहने से ही समाज का विकास एवं उत्थान सम्भव है। स्वामी विवेकानन्द जी के अनुसार, “जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।” बदलते समाज के साथ स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आया है। उनकी साक्षरता दर बढ़ी है वे आत्मनिर्भर हुई हैं, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि समान अवसर मिले तो वे आसमान की बुलंदियाँ छू सकती हैं। परन्तु इन बदलावों के बावजूद भी महिलाओं को लेकर हमारी सामाजिक मान्यताओं, सोच, व्यवहार एवं परम्पराओं में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। आज भी हर प्रकार के भेदभाव देखने को मिल जाते हैं। विभेदीकरण का यह सामाजिक-सांस्कृतिक आधार शायद इतना मजबूत है कि आज तक इनकी जड़ें खत्म नहीं हो पायी हैं। आज ऐसे अनेक जेण्डर प्रतिरोध हैं जो न केवल महिलाओं के अधिकारों को उनके सेवाओं तक पहुँचने से रोकते हैं, बल्कि उनका लाभ लेने से भी वंचित कर देते हैं। शासन द्वारा बनाई गयी विकास योजनाएँ उनकी विकास की प्रक्रिया में तब तक बाधक रहेंगी जब तक इन अवरोधों को दूर न किया जाये।

लैंगिकता का अर्थ :

शाब्दिक रूप से जेण्डर (लिंग के आधार पर) जैविकीय अर्थ को बताता है। अंग्रेजी भाषा में दो अलग-अलग शब्द हैं जो शारीरिक अन्तर यानी सेक्स को बताते हैं। सेक्स व जेण्डर के लिए हिन्दी में एक ही शब्द लिंग प्रयुक्त होता है। प्रकृति ने दो सेक्स स्त्री-पुरुष की रचना की है, जिन्हें अलग-अलग गुण देकर एक दूसरे का पूरक बनाया गया परन्तु हर समाज में नारीत्व व पुरुषत्व के लक्षण पाये जाते हैं और समाज की संस्कृति निर्धारित करती है कि नारीत्व एवं पुरुषत्व का रूप क्या हो?

हमारे समाज में यह धारणा है कि सेक्स व जेण्डर दोनों एक ही है। इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता बल्कि एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्दों के रूप में इन दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है। परन्तु इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है। प्रकृति स्त्री व पुरुष का निर्माण करती है और समाज उसके अन्दर स्त्रीत्व व पुरुषत्व का निर्माण करता है। अर्थात् जेण्डर शब्द का अर्थ स्त्री एवं पुरुष दोनों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिभाषा है अर्थात् समाज द्वारा स्त्री व पुरुषों को किस प्रकार देखा जाता है। उन्हें कैसी भूमिकाएँ, अधिकार एवं संसाधन दिये जाते हैं। इस तरह सेक्स जैविकीय, स्थायी, अपरिवर्तनशील तथा प्रकृति की देन हैं, जबकि जेण्डर सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवर्तनशील तथा मनुष्य द्वारा निर्मित है।

जेण्डर आधारित भेदभाव :

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जेण्डर आधारित भेदभाव स्पष्ट दिखायी देता है। एक ही समाज में रहने वाले पुरुषों एवं महिलाओं में रीति-रिवाजों, धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफी अन्तर है, जो कभी जानबूझ कर किया जाता है, जो कभी अनजाने में होता है। भारतीय समाज में जेण्डर भेदभाव का प्रारम्भ परिवार में पुत्र प्राप्ति की लालसा से शुरू होता है। बेटियों को 'पराया धन' और पुत्र को 'कुलदीपक' मानने वाले परिवारों में यह विभेद और ज्यादा होता है।

जेण्डर भेदभाव हर समाज में भी अलग-अलग है। जेण्डर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, प्राकृतिक नहीं। यह इस बात से साबित होता है कि ये समय के साथ अलग-अलग जगहों पर भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न होती है।

समाज की मान्यता है कि पुरुष शक्तिशाली एवं तार्किक है और महिलाएँ कमजोर व भावुक है। पुरुषों को सार्वजनिक स्थान पर रोना अच्छा नहीं माना जाता है। उसे अर्थोपार्जन करना चाहिए और वह जो चाहे निर्णय ले सकता है। इसकी तुलना में महिलाएँ रो सकती हैं उन्हें सबका ख्याल रखना चाहिए, त्यागी व ममतामयी हो, घर के काम कर, बच्चों की देखभाल में संलग्न होना चाहिए। ये सभी बातें एक-दूसरे को पोषती हैं। जिसका परिणाम हमें समाज में देखने को मिलता है। स्त्री और पुरुष दोनों में जो भी दायरा तोड़ता है उसे समाज अच्छी नजर से नहीं देखता। परिवार में बुजुर्गों के द्वारा किये गये लिंगभेद तो हमारी जानकारी में आता है परन्तु हमारे समाज में फैले लिंगभेद जो बहुत हल्के में लिये जाते हैं वे भी उतने ही प्रभावशील होते हैं। एक ही व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण कार्य दिये जाते हैं, क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों के योग्य नहीं समझा जाता है। जैसे कि सेना की नौकरी में स्त्रियों की हिस्सेदारी एवं भूमिका बहुत कम है। सार्वजनिक स्थानों

पर भी प्रायः महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वे प्रायः छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। महिला चाहे पढ़ी-लिखी या निरक्षर, कामकाजी या घरेलू तथा शहरी हो या ग्रामीण इस प्रकार का व्यवहार प्रायः अभी महिलाओं को झेलना पड़ता है। लड़के-लड़कियों का जन्म, पालन-पोषण, खान-पान, उठने-बैठने, आने-जाने, कामकाज एवं स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला भेदभाव ही आगे आने वाली पीढ़ियों की बुनियाद डालता है। वे जैसे स्वयं पले-बढ़े होते हैं वैसा ही उनका व्यवहार अपने आने वाली संतति के साथ होता है। आगे चलकर यही भेदभाव महिलाओं के जीवन के प्रमुख अवसरों में बाधक बनता है, महिलाओं को हीन भावना से ग्रस्त व कुंठित करता है एवं गहरी असमानता को जन्म देता है।

शिक्षा व जेण्डर संवेदनशीलता :

बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाने में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप होते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज जेण्डर संवेदनशीलता की गम्भीर समस्या से जूझ रहा है। समाज का अनिवार्य एवं सक्रिय अंग होने के कारण विद्यालयों का इस समस्या से कोई सरोकार न हो लगभग असम्भव है। अतः शिक्षा व्यवस्था में उन मूलभूत परिवर्तनों को लाने की दिशा में गंभीर चिन्तन और सुनियोजित कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें लैंगिक विभेदों को दूर कर एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके। लिंग आधारित भेदभावजनित रूढ़िगत मानसिकता में बदलाव लाना एक चुनौती है। शिक्षा व्यवस्था में सुनियोजित बदलाव लाकर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह समझी जाती है कि यह सभी विद्यार्थियों को अपने अधिकारों की दिशा में सजग बनाये जिससे वे समाज एवं राजनीति में अपना योगदान कर सकें। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उन अधिकारों और सुविधाओं को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक केन्द्रीय मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाये। अतः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो असमान समाजीकरण के नुकसान की भरपाई कर सके। सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय जैसी योजना की शुरुआत भी शिक्षा को बीच में छोड़ने वाली लड़कियों के लिए की गयी है।

भाषा शिक्षण एवं जेण्डर समेकन :

भाषा सभी विषयों में आवश्यक एवं ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल तत्व है। परिणामस्वरूप इसका जेण्डर सम्बन्धों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः विद्यार्थियों को भाषा के कार्यों के प्रति संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है कि कैसे सहजता से यह सामर्थ्य भेद उत्पन्न करती है। भाषा केवल उसको उजागर नहीं करती है, जो पहले से मौजूद है बल्कि इसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी आकार देती है। अतः भाषा का अलग-अलग तरीके से उपयोग करके वास्तव में दशाओं एवं स्थितियों को बदला जा सकता है। भाषा, चित्र और अन्य दृश्य उपकरण के साथ इस तरह के ज्ञान के निर्माण में एक केन्द्रीय भूमिका निभाती है और हमें ज्ञान के इस पहलू पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षक जेण्डर निष्पक्ष भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम भाषा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे तत्व, जैसे शब्द और भाव भाषा में होते हैं, जो जेण्डर की रुढ़ियों को बनाये रखते हैं। इसलिए कक्षा में जेण्डर निष्पक्ष भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। हम 'आदमी' शब्द का उदाहरण लेते हैं। 'आदमी' एक सामान्य शब्द नहीं है। हमें आदमी शब्द के विकल्पों के बारे में सोचने की जरूरत है। कुछ विकल्प हैं जैसे 'मानव', 'इंसान' या 'इंसानियत'।

हमारी भाषा जेण्डर समावेशी तथा निष्पक्ष दोनों होनी चाहिए। भाषा में जेण्डरवाद की एक सामान्य अभिव्यक्ति पुल्लिंगवाचक संज्ञाओं जैसे – आदमी, सिपाही और पुरुषवाचक संज्ञाओं जैसे उसे (Him), वह (He) का सामान्य प्रयोग होता है। हमें जेण्डर तटस्थकोशीय शब्दों के उपयोग के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। इस प्रकार हम जेण्डर निष्पक्षता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सामान्य पुरुषवाची समास जैसे – अध्यक्ष (Chairman), वक्ता (Spokeman), अधिकर्मी (Foreman) के उपयोग को रोकना और चिन्हित पदों, जैसे महिला चिकित्सक, महिला शिक्षक और समरूपी पदों, जैसे – महिला और पुरुष पत्रकार, कैमरामैन/कैमरावुमन का प्रयोग करना चाहिए।

पाठ्यक्रम एवं जेण्डर संवेदनशीलता :

पाठ्यक्रम का निर्माण प्रायः विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा इस रूप में किया जाता है, कि इसे पढ़ाने के उद्देश्यों की पूर्ति वाले विभिन्न प्रकरण तथा विषयों से युक्त हो। अतः जेण्डर समानता के मुद्दे को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना पाठ्यक्रम निर्माताओं पर निर्भर करता है। यदि तकनीकी आदि विषयों में जेण्डर समानता के प्रकरण न दिये जा सके तो भी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में जेण्डर समानता का मुद्दा शामिल किया जा सकता है। इसे बालक-बालिकाओं के सामूहिक टीमवर्क तथा

पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के द्वारा सफल बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम में महिला सशक्तीकरण की नीति एवं क्रियान्वयन को भी शामिल किया जाना चाहिए।

अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री पाठ्य पुस्तकें ही हैं। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य-पुस्तकों द्वारा ही विस्तार प्राप्त होता है। यदि निर्धारित पाठ्यक्रम में जेण्डर मुद्दे शामिल हों तो पाठ्य पुस्तकें उसके अनुरूप तैयार होंगी तथा छात्र पाठ्य पुस्तकों को बार-बार पढ़ाने से उनकी जेण्डर के प्रति संवेदनशीलता, मानवतापूर्वक व्यवहार, महिला उत्थानों के लिए प्रयासों, महिला अत्याचारों से मुक्ति की दिशा में प्रेरित होंगे। बालिकाएँ भी जेण्डर असमानता के लाभों तथा महिला सशक्तीकरण के लिए किये जा सकने वाले प्रयासों से परिचित होंगी।

गणित एवं जेण्डर संवेदनशीलता :

गणित में ज्ञान का निर्माण एवं संकल्पनाएँ करते समय शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि गणितीय प्रश्नों की सहायता से वह घर पर किये गये काम-काज को भी महत्वपूर्ण एवं उत्पादक बताये। प्रत्येक कार्य पर खर्च हुए समय, श्रम एवं ऊर्जा की गणना करने वाली प्रश्नावलियों के माध्यम से यह प्रतिबिम्बित होना चाहिए कि जीवन में किसी भी क्षेत्र के श्रम की एक गरिमा होती है। जीवन के समस्त कार्यों में महिलाएँ की बढ़ती सहभागितापूर्वक भूमिकाओं पर जोर देना चाहिए। महिलाओं का चित्रण गैर पारम्परिक और नवीन व्यावसायिक भूमिकाओं के सन्दर्भ में करना चाहिए, जैसे महाप्रबन्धकों, व्यापारियों, अधिशासी कार्यकारियों, व्यावसायिक महिलाओं, अपना वाहन चलाने वाली महिलाओं, पायलटों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, उद्योगपतियों आदि के रूप में चित्रण करना चाहिए। धन के आदान-प्रदान से सम्बन्धित सवालों, दृश्यात्मक वर्णनों जैसे खरीदने-बेचने एवं सम्पत्ति स्वामियों के रूप में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को दिखाना चाहिए।

पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण द्वारा जेण्डर संवेदनशीलता :

पर्यावरणीय अध्ययन मनुष्य के साथ प्रकृति का एकीकरण है, जो विद्यार्थियों को पूर्णरूप से सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ अन्तर्क्रिया करने के योग्य बनाता है। पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति तथा देखभाल करने एवं एक-दूसरे का सम्मान करने आदि के प्रति संवेदनशील होना सीखते हैं। अतः पर्यावरणीय अध्ययन में ज्ञान का निर्माण एवं व्यवहार करते समय यह देखा जाना चाहिए कि, भौतिक गुण (लक्षण) और अन्तर किसी श्रेष्ठता या हीनता को प्रतिबिम्बित नहीं करते। इस आधार पर लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार

का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उनके शारीरिक या भौतिक लक्षण अलग-अलग हैं। महिलाओं और पुरुषों को स्टीरियोटाइप्ड भूमिकाओं के साथ नहीं चिन्हित करना चाहिए, जैसे महिलाओं का खाना पकाना, बच्चों का देखभाल करना तथा पुरुषों का घर से बाहर जाकर दफ्तरों या खेतों में कार्य करना।

शिक्षक एवं जेण्डर संवेदीकरण :

शिक्षक का छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास, अभिवृत्ति एवं चरित्र निर्माण आदि में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक माना जाता है। वह अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील होता है। शिक्षक कक्षा-शिक्षण के दौरान, कक्षा अन्तर्क्रिया के दौरान छात्र-छात्राओं को जेण्डर समानता सम्बन्धी सोच विकसित करने में सहायता कर सकता है। वाद-विवाद, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोजेक्ट के सामूहिक कार्य आदि में जेण्डर मुद्दे को प्रासंगिक रूप देकर शिक्षक लैंगिक समानता में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। जिन विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाएँ साथ-साथ कार्यरत हैं वहाँ शिक्षक को महिला शिक्षिकाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के साथ पेश आना चाहिए ताकि उसका अनुकरण छात्र कर सकें। छात्राओं की दर्ज संख्या बढ़ाने, उन्हें शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनका पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा भी शिक्षक जेण्डर समानता के कार्य कर सकता है।

निष्कर्ष :

शिक्षा द्वारा जेण्डर समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी का विश्वास है। परन्तु जेण्डर समानता का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा प्रक्रिया स्वयं जेण्डर पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं। शिक्षक बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। विद्यार्थी उनका अनुसरण करते हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान कार्य व्यवहार में शिक्षक को जेण्डर संवेदनशीलता की समझ उत्पन्न करनी होगी। शिक्षक को जेण्डर संवेदनशीलता के लिए विद्यालय में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। कक्षा-कक्ष में बालिकाओं को बालकों के समान ही महत्व दें। उनके समक्ष जेण्डर समानता के उदाहरण प्रस्तुत करें। पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर समानता स्थापित करने वाली वीर नारियों, राष्ट्र नेत्रियों, वैज्ञानिक एवं समाज सुधारक महिलाओं के प्रसंगों को जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय उन प्रसंगों एवं प्रकरणों पर छात्रों का ध्यानाकर्षण करना चाहिए।

जो जेण्डर समानता को दूर कर जेण्डर समानता स्थापित करते हों। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा विद्यालय एवं समाज में जेण्डर के प्रति संवेदनशीलता का कार्य प्रभावी ढंग से संपादित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

रमन बिहारी लाल (2008), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, पृष्ठ – 560–561.

रमन बिहारी लाल, (2008), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, पृष्ठ – 421–422

शर्मा, आर० के० (2007), शिक्षा मनोविज्ञान, राधा प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ 316–319

सीमोन द वाउवार अनुवाद प्रभा खेतान, (2002), स्त्री उपेक्षिता, नयी दिल्ली, हिन्दी पाकेट बुक।

बटलर, जे० (1999), जेण्डर ट्रबल. फेमिनिज्म एण्ड सबवर्जन ऑफ आइडेन्टिटी, न्यूयार्क, रूटलेज.

पाण्डे, ए० के० (2004), इमरजिंग इशूज इन इमपावरमेंट, नई दिल्ली, अनमोल पब्लिकेशन.

जे० व्यास, आशुतोष (2014), जेण्डर, समानता और महिला सशक्तीकरण, जयपुर, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स.

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एनसीईआरटी, नयी दिल्ली.

गोलमन, डी० (1995), द नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलीजेन्स, न्यूयार्क, बंटम बुक्स, पृष्ठ संख्या 95–102.